	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
6.12.23	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय दौरे/ अवकाश/~~अन्य~~: राजकार्य मे तशरीफ रखते है। पत्रावली दि 15.12.23 को पेश हो।	
15.12.23	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय दौरे/ अवकाश/अन्य राजकार्य मे तशरीफ रखते है। पत्रावली दि 9.1.24 को पेश हो।	
9.1.24	पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उप० है। तहसीलदार नैनवां से रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। बहस हेतु वकील प्रार्थी ने अवसर चाहा। अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 31-1-24 को पेश हो।	
31.1.24	पत्रावली पेश हुई । वकील पक्षकारान उपस्थित है। पूर्व आदेश की पालना में अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 13-2-24 को पेश हो ।	[illegible]
13.2.24	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उप० है। वकील प्रार्थी ने साक्ष्य के रूप में जाडी पुत्री खेमा के बयान दर्ज रिकार्ड करवाये। बहस प्रा०पत्र सुनी गई। बहस में वकील प्रार्थी ने अपने प्रा०पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तहसीलदार नैनवां की [illegible] के आधार पर [illegible] हेतु निवेदन [illegible] की रिपोर्ट के अनुसार [illegible], तेजमल आ० खेमा नाम का गांव में	

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2024.02.15 16:37:58 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	एक ही व्यक्ति है, जिसे तेजपाल के नाम से भी जाना जाता है। इस नाम का अन्य व्यक्ति गांव में कोई नही है। हमने प्रा०पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत रिकार्ड दस्तावेज, साक्ष्य तथा तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट का अवलोकन किया। तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि तेज्या पुत्र खेमा, तेजमल पुत्र खेमा नाम का एक ही व्यक्ति है जिसको तेजपाल पुत्र खेमा के नाम से भी जाना जाता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। ग्राम सुन्पली पटवार हल्का सुवानिया तहसील नैनवां की जमाबंदी संवत् 2077-79 की खाता सं. नया 70 मे दर्ज "तेज्या पुत्र खेमा" तथा खाता संख्या नया 102 मे दर्ज "तेजमल पुत्र खेमा" के स्थान पर "तेजपाल पुत्र खेमा" इन्द्राज दुरुस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार नैनवां को दिये जाते है। निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बूंदी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2024.02.15 16:37:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां जिला बून्दी (राज0)

क्रमांकः– रीडर/2024/80 दिनांकः–14/2/24

प्रेषितिः–

तहसीलदार
नैनवां।

विषयः–न्यायालय निर्णय की पालना करने हेतु ।

वाद/प्रार्थना पत्र संख्या 238/प्रा0पत्र/2022

बउनवान तेजपाल बनाम TDR

निर्णय दिनांक 13/2/24

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वाद पत्र/प्रार्थना पत्र के निर्णयानुसार पत्र के साथ ~~प्राथमिक डिक्री~~/~~अन्तिम डिक्री~~/अंतिम निर्णय की प्रति वास्ते पालना हेतु भिजवायी जा रही है। पालना अन्दर 7 योम के की जाकर रिपोर्ट से अवगत करावे।

संलग्नः– उक्तानुसार।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां

Signature Not Verified

Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2024.02.15 16:37:58 IST
Reason: SelfAttested